

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 05/2024

सोनाराम महतो -बनाम- कार्तिक महतो वगैरह

(द.प्र.सं. की धारा 144)

1	2	3
आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि

12.06.2024

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर द. प्र.सं. की धारा 144 के तहत आवेदन के आलोक में आवेदक प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी, निमियांघाट के द्वारा वादगत भूमि के संदर्भ में समर्पित प्रतिवेदन एवं द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा के आलोक में वाद पंजीकृत कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
मधवाडीह	0192	11	66	81 डि. के मध्ये 40.5 डि.

निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष इस न्यायालय में उपस्थित हुए एवं अपना-अपना कारणपृच्छा दाखिल किया गया।

वादगत भूमि के संबंध में थाना प्रभारी, निमियांघाट के द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि उभय पक्ष वादगत भूमि जो कि मूल प्रकृति गैरमजरूआ खास किस्म की भूमि है, उस भूमि को लेकर उभय अपना-अपना दावा अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर करते हैं एवं एक दूसरे के दस्तावेज को जाली बताते हैं। वादगत भूमि के मध्ये 2 डि. भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर उभय पक्षों में विवाद हो गया।

प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा के साथ संलग्न राजस्व दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा: मधवाडीह, थाना नं. 192, अंचल डुमरी, जिला गिरिडीह अन्तर्गत खाता नं. 11/29, प्लॉट नं. 66, रकबा: 81.5 डि. भूमि बजरिए हुकूमनामा से वर्ष 1942 ई0 में उगन महतो वो गेन्दो महतो पेशरान गांगो महतो को सम्मिलात हासिल हुई। बन्दोबस्ती उपरान्त उगन महतो वो गेन्दो महतो उक्त भूमि पर निर्विरोध दखलकार चले आते हैं एवं माल गुजारी साल दर साल अदा करने लगे। जमींदारी उन्नमूलन उपरान्त बिहार सरकार को मालगुजारी अदा करने लगे। अंचल डुमरी के पंजी 2 के भाग सं. 1 में उगन महतो वगैरह के नाम से जमाबंदी कायम है। द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष एक ही वंशवृक्ष से हैं यह बात सही है। द्वितीय पक्ष का कहना कि वादगत भूमि शुनु महतो वो जोधो महतो पेशरान उगन महतो ने बंदोबस्ती हासिल की, वास्तविकता है कि उगन महतो वो गेन्दो महतो पिता गांगो महतो के नाम वादगत भूमि बंदोबस्ती हासिल है। द्वितीय पक्ष ने बंदोबस्ती का फर्जी कागजात बनवाया है ताकि प्रथम पक्ष के हक-हिस्से की भूमि को हड़पा जा सके। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से वादगत भूमि को द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को संपुष्ट करने एवं प्रथम पक्ष को कार्रवाई से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में उल्लेख किया

Om

गया है कि मौजा: मधवाडीह, थाना नं. 192, अंचल डुमरी, जिला गिरिडीह अन्तर्गत खाता नं. 11 हाल खाता नं. 11/29, प्लॉट नं. 66, रकबा: 8.32 एकड़ भूमि के मध्ये $81\frac{1}{10}$ डि. भूमि जिसकी चौहदी उतर: सेवा महतो वे लक्ष्मण महतो, दक्षिण: ठाकुर महतो वो रति महतो वो काशी महतो, पूरब: ग्रामीण रास्ता, पश्चिम: नीज, फरद रिपोर्ट बावत पैमाईस के तहत पालगंज राज से बावत सन् 1945 ई0 को झुनु महतो वो जोधो महतो पेशरान उगन महतो के नाम हासिल हुआ जिस भूमि पर झुनु महतो वो जोधो महतो पेशरान उगन महतो के वारीशान द्वितीय पक्ष के सदस्यगण शांतिपूर्ण दखल-कब्जा में चले आ रहे हैं। झुनु महतो वो जोधो महतो पेशरान उगन महतो के नाम अंचल डुमरी के पंजी2 में जमाबंदी कायम होकर राजस्व रशीद निर्गत होता आ रहा है, जो वर्ष 1992 तक निर्गत है। उभय पक्ष एक ही वंशवृक्ष के सदस्य हैं। प्रथम पक्ष के सदस्य द्वितीय पक्ष के सदस्यों के पूर्वज के नाम से बन्दोबस्ती भूमि पर लालची नजर रखते हैं और गैरकानूनी तरीके से षड्यंत्र रचकर हड़पना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा वादगत भूमि को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को संपुष्ट करने एवं द्वितीय पक्ष को रिक्त करने का अनुरोध किया गया है।

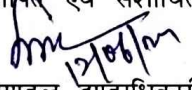
----- विवेचना एवं आदेश -----

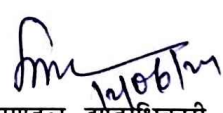
इस वाद में उभय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा, राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत दलील को सुनने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादगत भूमि की प्रकृति गैरमजरूआ खास किस्म की है। जिस संबंध में उभय पक्ष अपना-अपना अलग-अलग बन्दोबस्ती दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। उभय पक्ष एक-दूसरे के दस्तावेज को फर्जी बताते हैं जो एक अलग जाँच का विषय है। इस प्रकार यह मामला उभय पक्षों के बीच हक-हिस्स एवं स्वत्व से संबंधित प्रतीत होता है, जिसका निष्पादन करना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय का क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस मामले को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर निष्पादन किया जा सकता है।

दं.प्र.सं. की धारा 144 की उपधारा 4 के तहत आज इस वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी, निमियांघाट के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराएँ तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखाधिकार एवं सशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।